बाघ बचे तो जलवायु बचे: COP31 में भारत का 'बिग कैट्स' पैरवी-मंच



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के मौके पर अंताल्या (तुर्किये) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) ने संयुक्त रूप से 'BIG CATS: Drivers of Climate Change Mitigation' शीर्षक से उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय साइड-इवेंट आयोजित किया। PIB ने इसकी जानकारी 17 नवंबर 2026 को दी। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण जलवायु-शमन (climate change mitigation) और पारिस्थितिकी-लचक (ecosystem resilience) का प्रभावी मार्ग है। इवेंट में नेपाल, वेनेज़ुएला, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे बिग-कैट रेंज देशों के मंत्री/प्रतिनिधि और रामसर कन्वेंशन व UNCCD जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

परिचय: IBCA और बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ

IBCA (International Big Cat Alliance): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, जो विश्व की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों - बाघ (tiger), सिंह (lion), तेंदुआ (leopard), हिम तेंदुआ (snow leopard), प्यूमा (puma), जैगुआर (jaguar) और चीता (cheetah) - के संरक्षण के लिए ज्ञान-साझेदारी, क्षमता-निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मंच है। इनमें से पाँच प्रजातियाँ (प्यूमा और जैगुआर को छोड़कर) भारत में पाई जाती हैं।

अम्ब्रेला स्पीशीज़ (छाता प्रजाति) सिद्धांत: किसी शीर्ष शिकारी प्रजाति की रक्षा करने से उसका पूरा आवास - वन, घासभूमि, आर्द्रभूमि और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र - सुरक्षित होता है, जिससे हज़ारों अन्य प्रजातियों और उन पर निर्भर समुदायों को लाभ मिलता है।

मुख्य भाग: इवेंट के मुख्य बिंदु

- **संरक्षण से कार्बन-सुरक्षा:** बड़ी बिल्लियाँ सीधे कार्बन नहीं सोखतीं, पर उनका संरक्षण उन वनों, घासभूमियों और आर्द्रभूमियों की रक्षा करता है जो कार्बन संचित करती हैं, आवास-क्षरण से उत्सर्जन रोकती हैं और जलवायु-लचक बढ़ाती हैं।
- **भारत का तर्क:** श्री यादव ने कहा कि भारत की बाघ-यात्रा दिखाती है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत संस्थाएँ, सतत निवेश और सामुदायिक भागीदारी वन्यजीव-संरक्षण को पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु-लचक और सतत विकास का साधन बना सकते हैं। चीता-पुनर्स्थापना (reintroduction) की सराहना भी हुई।
- **प्रस्तुति:** IBCA के महानिदेशक श्री एस.पी. यादव ने गठबंधन और रेंज देशों में बड़ी बिल्लियों की स्थिति पर प्रस्तुति दी।

भारत का बाघ-संरक्षण मॉडल

- **58 टाइगर रिजर्व:** लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले, जो व्यापक वन-पारिस्थितिकी तंत्र और उनके कार्बन-भंडार की रक्षा करते हैं; इन भू-भागों से 600 से अधिक नदियाँ निकलती हैं या बहती हैं, जिससे ये महत्वपूर्ण जल-ग्रहण क्षेत्र (watersheds) भी हैं।
- **बाघ-संख्या:** 2022 की गणना में भारत में 3,682 बाघ अनुमानित किए गए - विश्व के जंगली बाघों का 70 प्रतिशत से अधिक।

- **कानूनी-संस्थागत ढाँचा:** प्रोजेक्ट टाइगर को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वैधानिक निकाय राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का समर्थन मिलता है।
- **हरित रोज़गार:** प्रोजेक्ट टाइगर से प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख (6 million) मानव-दिवस की आजीविका अवसर बनते हैं, जिससे संरक्षण सामुदायिक आजीविका-सुरक्षा से भी जुड़ता है।

परीक्षा के लिए महत्व

प्रिलिम्स की दृष्टि से: IBCA की सात प्रजातियाँ, 58 टाइगर रिजर्व/85,000 वर्ग किमी, 2022 की बाघ-गणना (3,682; 70%+), NTCA का कानून (वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972) - प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।

मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: प्रकृति-आधारित समाधान (nature-based solutions), अम्ब्रेला स्पीशीज़ और संरक्षण-जलवायु अभिसरण - GS-III के लिए गहन सामग्री।

आगे की राह

IBCA के माध्यम से भारत अपने संरक्षण-मॉडल को अन्य रेंज देशों के साथ साझा करेगा। बड़ी बिल्लियों के आवासों को जलवायु-वित्त और प्रकृति-आधारित कार्रवाई की मुख्य धारा से जोड़ना आगामी वार्ताओं का लक्ष्य रहेगा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न1. भारत में बाघ-संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं
कथन 2: 2022 की गणना में भारत में 3,682 बाघ अनुमानित किए गए
कथन 3: NTCA पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

व्याख्या: कथन 1 सही है: 58 टाइगर रिजर्व लगभग 85,000 वर्ग किमी में हैं। कथन 2 सही है: 2022 में 3,682 बाघ - विश्व के जंगली बाघों का 70% से अधिक। कथन 3 गलत है: NTCA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है।

प्रश्न2. IBCA के तहत संरक्षण की परिकल्पना में शामिल सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से कौन-सी दो प्रजातियाँ भारत में स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जातीं?

(a) बाघ और सिंह

(b) तेंदुआ और हिम तेंदुआ

(c) प्यूमा और जैगुआर

(d) चीता और सिंह

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c) प्यूमा और जैगुआर

व्याख्या: IBCA की सात प्रजातियाँ हैं - बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता; इनमें प्यूमा और जैगुआर अमेरिका महाद्वीप की प्रजातियाँ हैं, भारत में नहीं पाई जातीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

'बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण जलवायु-शमन का प्रभावी मार्ग हो सकता है।' भारत के बाघ-संरक्षण मॉडल के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (सामान्य अध्ययन-III; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: COP31 में MoEFCC-IBCA साइड-इवेंट और कथन का संदर्भ; अम्ब्रेला स्पीशीज़ अवधारणा।

मुख्य भाग में: कार्बन-समृद्ध आवासों की रक्षा से उत्सर्जन-रोकथाम और लचक; 58 टाइगर रिजर्व, 600+ नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र; 3,682 बाघ/70% की सफलता के कारक - कानून (WPA 1972), NTCA, बजट, तकनीक-आधारित निगरानी, सामुदायिक सहभागिता; 60 लाख मानव-दिवस रोज़गार से संरक्षण-आजीविका कड़ी; IBCA से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि संरक्षण और जलवायु-कार्रवाई एक-दूसरे के पूरक हैं; भारत का मॉडल प्रकृति-आधारित समाधान का प्रमाण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: COP31 में MoEFCC और IBCA ने 'BIG CATS: Drivers of Climate Change Mitigation' साइड-इवेंट किया, जिसमें भारत ने बड़ी बिल्ली संरक्षण को जलवायु-शमन और लचक का मार्ग बताया; भारत में 58 टाइगर रिजर्व (~85,000 वर्ग किमी) और 3,682 बाघ (2022) हैं।

प्रश्न: IBCA क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस - सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों (बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता) के संरक्षण के लिए बना अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, जिसकी परिकल्पना भारत ने की।

प्रश्न: भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है?

2022 की गणना में 3,682 - विश्व के जंगली बाघों का 70 प्रतिशत से अधिक।

प्रश्न: NTCA किस कानून के तहत बना है?

राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है।

स्रोत

- PIB - Big Cat Conservation can be a Powerful Pathway for Climate Change Mitigation: Union Environment Minister at UNFCCC COP31, Antalya (17 नवंबर 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2337247&lang=1&reg=3

संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)

- 'कोई पीछे न छूटे': COP31 में भारत का न्यायोचित संक्रमण (जस्ट ट्रांज़िशन) का एजेंडा
- ऑलिव रिडले कछुओं के लिए चेन्नई तट पर तैयारी: नेस्टिंग सीजन से पहले संरक्षण अभियान